वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग – 2
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/CGROAD/122482/2021

7.	परियोजना /स्कीम का स्थान	Development of Urga Pathalgaon section of NH-130 (Raipur – Dhanad Economic Corridor) in the State of CG under Bharatmala
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	रायगढ़
(iii)	वन प्रभाग	धरमजयगढ़ वनमण्डल के परिक्षेत्र धरमजयगढ़ एवं बाकारूमा।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टयर)	90.9718 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	**धरमजयगढ़ वनमंडल** – 90.9718 **हे.** आरक्षित वनभूमि 26.6399 हे. संरक्षित वनभूमि 27.8631 हे. नारंगी वनभूमि 10.4794 हे. राजस्व वनभूमि 25.9894 हे.
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ॰आर॰एल॰,एफ॰ एफ॰ आर॰ एल॰–2 मी॰ पर परिगणना और एफ॰ आर॰एल॰ 4 मी॰ भी संलग्न किये जाये।	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 22214 नग वृक्ष प्रभावित हैं। प्रजातिवार, गोलाईवार गणना प्रतिवेदन संलग्न है।
(viii)	भूमि कटाव के लिये वनक्षेत्र का महत्व, क्या यह गंभीर रूप से क्षेत्र का हिस्सा है, या नहीं	पहाड़ी क्षेत्रों में जहां हल्के से लेकर तीव्र ढाल के क्षेत्र हैं जैसे कक्ष क्र. 388RF एवं 388RF आदि प्रभावित हैं। हल्के से लेकर तीव्र ढाल के क्षेत्र में उपयुक्तानुसार

		भू–क्षरण रोकथाम के कार्य किया जाना होगा।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	कक्ष क्र. 362पी रकबा 3.3517हे. , 384पी रकबा 3.3930हे. , 389RF रकबा 18.3356हे. , 388RF रकबा 1.654हे., 150RF रकबा 1.4495हे., 130RF रकबा 6.9772हे. प्रभावित हो रहा है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	उक्त उरगा से पत्थलगांव एन.एच. मार्ग लेमरू हाथी रिजर्व सीमा से 2.5 कि.मी. की दूरी पर आता है, प्रस्तावित NH में धरमजयगढ़ एवं बाकारूमा परिक्षेत्र में जहां वर्ष भर हाथी, भालू की उपस्थिति और आवागमन रहता है। वन्यप्राणी हेतु क्षेत्र विकास एवं सतत आवागमन अनुरूप WII के गाईडलाईन के पालन में प्रकर वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार किया जावेगा।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	वन्य हाथी एवं भालू।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	उक्त आवेदित स्थल पर सुरक्षित पुरात्तवीय/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित नहीं है। परन्तु प्रस्तावित मार्ग से लगभग 03 कि.मी. की दूरी पर ओंगना ऐतिहासिक शैलचित्र एवं बाकारूमा परिक्षेत्र अन्तर्गत हाथादाई ऐतिहासिक शैलचित्र लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	हां, न्यूनतम आवश्यकता जमीन मांग किया गया है।

	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं हैं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	संलग्न है।
(i)	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये शिनाख्त किये गये गैर वनक्षेत्र/बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या,प्रत्येक हिस्से का आकार।	प्रस्तावित सी.ए. गैर वनक्षेत्र का निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या,प्रत्येक हिस्से का आकार संलग्न है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	165776066 रूपये ।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	NH Urga to Dharamjaigarh runs through Dharamjaigarh and Bakaruma range of Dharamjaigarh Forest division. 90.971 ha of forest land has been requested for diversion under FCA 1980. In Dharamjaigarh division average year round presence of 40-50 elephant has been observed. The population peaks even upto 150 for few months of the year. These two forest ranges (Dharamjaigarh and

		Bakaruma ranges) caters 60-70 % elephant population of Dharamjaigarh division. Due to dense natural forest, large tract of Plain topography, adequate water and forage availability, good crown cover and contagious nature of forest patches enable elephants to prefer this habitat for longer period as compared to other ranges. The Highway cuts through this crucial habitat, at times even at elephant regular crossing points. User agency seriously should take into account these elephant crossing points and include measures as per WII Guideline for linear infrastructure while designing its project. UA should give enough porosity for elephant movement EOP/EUP elephant crossings through overpasses and underpasses wherever necessary for wild elephants to keep the thriving habitat and its population viable for unhindered genetic exchange and population evolution in Chhattisgarh. Enough provisions should be provided in WL plan to mitigate the impacts of project on other smaller animals like sloth bear, barking deer, spotted deer, birds, reptiles as per WII guideline on linear projects. .
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल	धरमजयगढ़ वनमंडल, जिला – रायगढ़
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6527.440 वर्ग किलो मीटर
(ii)	जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल का वन क्षेत्र	आरक्षित वन –768.571 वर्ग किलो मीटर संरक्षित वन –286.872 वर्ग किलो मीटर असीमांकित वन –657.976 वर्ग किलो मीटर कुल वनक्षेत्र– 1713.419 वर्ग किलो मीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	8 प्रकरण रकबा 419.433 हेक्टेयर
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।	50.000 हेक्टेयर

(ख)	वनेत्तर भूमि पर	0.000 हेक्टेयर
(v)	वर्ष 2019 – 2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि।	1917.627 हे.
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	The proposed project is necessary for social economic development of our nation. If adequate safety measures quoted at DCF report (point 11) for conservation of elephant habitat and elephant population taken care of, can be considered for sanction.

स्थान : धरमजयगढ़

दिनांक : 07/06/2023

अभिषेक जोगावत भा.व.से.
वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल